

**No. HQ/PIO/RTI/354/15**

**Date: 14.12.2015**

**Dr. Santosh Goyal,**  
Village-Daulatpur,  
Post-Chandanpur,  
Tehsil-Sadar Etawah,  
U.P.



Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt. 06.11.2015, received in this office on 16.11.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

गाटा संख्या 1271 डी.एफ.सी.सी. परियोजना में अधिग्रहित किया गया है। जिसके पुरुरीक्षित प्रतिकर के भुगतान हेतु आपने मा. आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर में वाद सं.162/2014-15 व 163/2013-14 दायर किया था। जिसका निर्णय मा. आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, द्वारा दिनांक 06.12.2014 किया जा चुका है।

आप को अवगत कराना है, कि गाटा सं.1271 के सम्बन्धित भू-स्वामियों द्वारा डी.एफ.सी.सी. /कानपुर/इटावा कार्यालय में प्रतिकर सम्बन्धित प्रपत्र (नोटरी हलफनामा, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिस्साकशी, पासपोर्ट साइज की चार फोटो, पैनकार्ड, बैंक खाता की छायाप्रति) अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जिनके कारण उक्त गाटे के भू-स्वामियों के प्रतिकर का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

अतः प्रतिकर निर्धारित करने हेतु आवश्यक प्रपत्रों के प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त गाटे के सभी भू-स्वामियों द्वारा संलग्न प्रपत्र यथाशीघ्र तैयार कर सीपीएम/कानपुर कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिससे मा. आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, के आदेश का अनुपालन किया जा सके तथा प्रतिकर से सम्बन्धित सूचना (फार्म-11/फार्म सी.सी.) उपलब्ध कराई जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

**(S.K. Panda)**  
**DGM/PIO**

Copy to:- CPM/Tundla

